~ ~

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

**(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)**

राजस्व वाद संख्या **22 / 2022** अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| सागराराम पुत्र रामाराम<br>जाति मेघवाल, निवासी जसे का गांव<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | 1. अणदाराम पुत्र रामाराम<br>जाति मेघवाल, निवासी जसे का गांव<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर<br>2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव |

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री बृजमोहन कुमावत।

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक : 14.08.2024**

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव के ग्राम जसे का गांव के खेत खसरा नम्बर 127, 128, 129, 130, 39, 40 रकबा क्रमशः 0.6880, 0.1295, 6.3455, 4.9776, 4.5001, 3.6664 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

| क्र. सं. | नाम खातेदार | राजस्व ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्ट. में) | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अणदाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार | जसे का गांव | 39 | 4.5001 | बा.दो. | – | काला |
| | | | 40 | 3.6664 | बा.दो. | – | |
| | | | 127 | 0.6880 | बा.दो. | – | |
| | | | 129 | 1.1696 | बा.दो. | – | |
| | | | 128 | 0.1295 | गै.मु.ढाणी | – | |
| | | **कुल योग** | **05** | **10.1536** | – | – | |
| 2 | सागराराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार | जसे का गांव | 129 | 5.1759 | बा.दो. | – | लाल |
| | | | 130 | 4.9776 | बा. अ. | – | |
| | | **कुल योग** | **02** | **10.1535** | – | – | |

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner